Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:3.021 website: www.researchguru.net
Volume-12, Issue-2, September-2018

मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

(बागेश्वर नगर के सन्दर्भ में)

कु0 सरिता

शोध छात्रा समाजशास्त्र विभाग, कु0वि0वि0 एस0एस0जे0 परिसर अल्मोडा

सारांश –: भारत में मुगल काल से पहले मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मुगलकाल के प्रारंभ होने पर महिलाओं की स्थिति बदतर होती चली गई। स्वतंत्रता से पूर्व तक महिलाएं अनेक परिवारिक समाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नियोग्यताओं की शिकार रहीं। स्वतंत्रतापरांत संवैधनिक प्रावधानों, सरकारी, गैरसकारी तथा समाज सुधारकों के प्रयास से महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो रहा है। परिवर्ती सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में शिक्षा और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुई है। अतः सांप्रत भारत में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आंकलन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन इसी दिशा में एक प्रयास कहा जा सकता है।

Keywords -: **मुस्लिम महिलाए, मुस्लिम आर्थिक स्थिति, मुस्लिम सामाजिक स्थिति, इस्लाम धर्म और सशक्तिकरण**

प्रस्तावना :– प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति का अध्ययन करना है। भारत वर्ष एक धर्म निरपेक्ष देश है, जिसमें विभिनन धर्म और अलग–अगल जाति के लोग रहते है। जिनकी अपनी जीवन शैली, भाषायें और अलग–अलग तरह की संस्कृति है, प्रत्येक तरीके रिति–रिवाज और परम्पराओं का पालन करते हुए अपने धार्मिक मूल्यों के अनुसार अपना जीवन निर्वहन करते है, इस्लाम धर्म के अनुयायियों को मुस्लिम कहा जाता है। इस्लाम का मूल आरम्भ अरब में हुआ। प्राचीन अरबी धर्म ही परिवर्तित होकर इस्लाम धर्म बन गया। यही कारण है कि इस्लाम धर्म और मुसलमानों के सामाजिक जीवन पर प्राचीन अरबी धर्म और सामाजिक जीवन का प्रभाव देखने को मिलता है। मुस्लिम सामाजिक संगठन की प्रमाणिक जानकारी हमें कुरान से मिलती है। कुरान मुस्लिम रीति–रिवाज का मुख्य स्त्रोत तथा मुस्लिम जीवन पद्धिय के लिय सर्वोपरि प्रमाण है।इस्लाम में गति का सिद्धान्त विद्यमान है इसलिए मुस्लिम सामाजिक संगठन और जीवन पद्धति देश और काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

भारत में मुगल काल के प्रारम्भ होने पर स्त्रियों की स्थिति बदतर होने लगी मुस्लिम महिला को एक चादर में लिपटी हुई घर की चार दीवार में कैद महिला के रूप में सोचा जाता है जो कि पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण और भ्रामक अवधारणा है यद्यपि इस्लाम धर्म में मुस्लिम महिला के लिए परदे का प्रावधान है। लेकिन साथ ही साथ उनकी शिक्षा एवं अपने अधिकारों का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। महिला और पुरूष, दोनों से ही समाज का निर्माण हुआ। संसार में सर्वप्रथम खुदा ने हजरत आदम साहब हो पैदा किया तथा उनके ही शारीर से माँ हव्वा को पैदा किया। तभी से दुनिया की शुरूआत हुई। इस्लाम धर्म के अनुसार हम सभी उन्हीं की सन्तान है। मुस्लिम समाज में महिला की दयनीय स्थिति का आरम्भ बहुत समय पूर्व हुआ था। इस्लाम से पहले औरतों के कोई हुकूक (अधिकार) नहीं थे। उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। पत्नियों की कोई गिनती नहीं थी। इसलिए जो व्यक्ति जिस औरत को चाहता उसे अपने निकाह में ले लेता और उसके साथ वही व्यवहार करता जो जानवरों के साथ किया जाता है।[1]

अरब समाज में इस्लाम से पूर्व महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थीं। महिलाएं दिन रात मजदूरी करती थीं और जो कुछ भी वह कमाती थीं वी भी पुरूषों को दे दिया करती थीं। तब भी पुरूष स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं करते थें,जानवरों की तरह मारते पीटते थें। अरब के लोग लडकियों के पैदा होते ही उन्हें जिन्दा दफन देते थे। स्त्रियों को उनके माँ, बाँप, भाई तथा पति की विरासत से कोई हिस्सा नहीं मिलता था, स्त्रियों का किसी वस्तु पर कोई हक नहीं होता था, अरब के कुछ कबीलों में यह दस्तूर था, किसी स्त्री के विधवा हो जाने पर उसे घर से बाहर निकाल कर एक छोटे से कमरे में एक साल तक कैद रखा जाता था बहुत सी स्त्रियाँ तो घुट–घुट कर मर जाती थी। इन मजबूर स्त्रियों की लाचारी की यह स्थिति थी, कि समाज में इन स्त्रियों को कोई हक नहीं थे। अधिकतर देशों में मुस्लिम महिलाओं की यहीं स्थिति थी। जब पैगम्बर मुहमद साहब खुदा की तरफ से दीन इस्लाम लेकर आए तो दुनिया की सताई हुई स्त्रियों का सितारा चमक उठा और इन स्त्रियों का दर्जा बहुत ऊँचा हो गया। हर जगह स्त्रियाँ पुरूष के बराबर के दर्जे पर पहुँच गयी। इस्लाम में बताया गया कि पुरूष और स्त्री एक समान है, एक दूसरे के पूरक है। उनमें किसी एक को किसी दूसरे पर बरतरी हासिल नहीं है। कुरान में फरमाया गया है कि ऐ! लोगो हमनें तुम्हें एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है, तुम्हे कौयों, कबीलों, और खानदानों में करार दिया। तुम एक–दूसरे को पहचानों बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से ही बुजुर्ग बरतर है, जो सबसे ज्यादा परहेजगार है।[2]

इस प्रकार मुस्लिम धर्म में हर जगह हर प्रकार से पुरूष और महिला की समानता को दर्शाया गया है। इस्लाम दुनिया में वह पहला धर्म है, जिसने औरत को सबसे ज्यादा अधिकार दिए है। इन अधिकारों के द्वारा औरत को तक्की, खुशहाली, इज्जत, सभी स्थान और अधिकार में पुरूष और स्त्री दोंनो बराबर है। अपने जन्म के हिसाब से पुरूष अधिक बलवान और औरत कमजोर नहीं हैं बल्कि दोनों को बराबर स्थान मिला हुआ है और इन्सानियत की बुनियाद पर हासिल होने वाले अधिकार में भी दोनों में कोई फर्क नहीं है।[3]

मध्यकाल में स्त्रियों की परिस्थिति :–ग्यारहवी शताब्दी में गजनवी के आक्रमण में ब्रिटिश सम्राज्य की स्थापना अर्थात् इन सात सौ वर्षों तक सामाजिक संस्थाओं का विखण्ड, परम्परागत राजनैतिक संरचना में उथल–पुथल, बड़ी संख्या में लोगों का प्रवाशन देश में आर्थिक मन्दी ने सामाजिक जीवन में विशेषतः महिलाओं को पढ़ाने में योगदान दिया।[4]

11वीं शताब्दी के आरम्भ से ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा था, मुगकाल से पहले ही मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हो गयीं थी, लेकिन इसी काल में पहली मुस्लिम महिलस शासक रजिया सुल्तान ने यह सिद्ध कर दिखाया कि महिलाऐं किसी से कम नहीं है, रजिया सुल्तान हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला है, जिसने बहादुरी से अपने कारनामें को अन्जाम दिये है जिसकी मिसाल मुश्किल से ही दिखायी देती है रजिया सुल्तान को अपनी हुकुमत बचाने के लिये अपने विरोधियों से कई लड़ाईयाँ लड़नी पड़ी मुगल काल के प्रारम्भ होने पर स्त्रियों की स्थति बहुत बदतर होती चली गई। इस समय स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अब पाँच या छः वर्ष तक की अबोध कन्याओं का भी विवाह किया जाने लगा। रक्त की शुद्धता को बनाये रखने के लिये और स्त्रियों के अस्तित्व की रक्षा के उद्देश्य से बाल विवाहों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। इस काल में प्रदा–प्रथा प्रचलित हुई। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र केवल घर की चार दीवारी तक सीमित हो गया। पुरूष स्वयं एक पत्नि के होते हुए भी दूसरी और तीसरी स्त्री से विवाह करने लगे। इस काल में स्त्रियाँ पूर्वतः परतन्त्र हो चुकी थी। वे आर्थिक दृष्टि से कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें पुरूष के नियन्त्रण में रखा गया। इस काल में लड़कियों को उनके पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार मिलने लगा जिनके कोई भाई नहीं था। इस काल में धर्म के नाम पर महिलाओं का सर्वाधिक शोषण हुआ। उन्हें चेतना शून्य पुरूष की कृपा पर आधारित और निर्बल बना दिया गया। इस काल में स्त्रियों की स्थिति मे काफी गिरावट आयी।

यद्यपि यह सही है,कि मध्यकाल में मुस्लिम महिलाओं की स्थति बहुत निम्न हो गयी थी। लेकिन मुगलकाल की शाही परिवार की स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च थी। उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। महल में नियुक्त शिक्षिकाएं ही प्रारम्भिक शिक्षा दीया करती थी। इस प्रकार कहा जा सकता हैं कि केवल शाही परिवार की महिलाओं की स्थिति ही उच्च थी। जबकि अन्य महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय दशा में थी। इसका कारण उस समय के लोगों का धर्म से दूरी का होना था क्योंकि इस्लाम धर्म में हमेशा से ही महिलाओं के सभी अधिकारों की बात की गई है। इस्लाम धर्म में रसूल मोहम्मद साहब के समय में महिलायें अपना करोबार करती थी। इस्लाम में पुरूषों की तरह औरतों को भी यह निर्देश दिये गये कि वह अपने पैरों पर खुद खड़ी हों और वह इस काबिल बने कि वह ना सिर्फ अपनी जिन्दगी अच्छी तरह गुजार सके। बल्कि अपने खानदान और दूसरे के लिये भी मद्दगार बन सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व महिलायें अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व राजनीतिक नियोग्यताओं का शिकार रही। अंग्रेजी शासनकाल में नारी की प्रस्थिति में सुधार होना प्रारम्भ हुआ, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नारियों की प्रस्थिति में और भी अधिक सुधार हुआ है। सरकारी, गैर–सरकारी संगठन (महिला सुधार संगठनों सहित) तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारतीय नारी की प्रस्थिति मध्यकाल की नारी से कहीं ऊँची है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सविधान का निर्माण किया गया तब उसमें अल्पसख्यकों के हितों से सम्बन्धित आवश्यक प्रावधान किया गया है, स्वतन्त्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 17 कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया था जिसमें एक कार्यक्रम अल्पसख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था भी थी।[5] इस प्रकार धीरे–धीरे सरकार के प्रयासो और मुस्लिम धर्म के गुरूओं के प्रयासो के द्वारा स्त्री की स्थिति को ऊपर उठाने में मद्द मिली।

समय के साथ–साथ मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। मुहम्मद साहब ने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अनेक प्रयत्न किये, वे बहुपत्नि विवाह तथा बाल–विवाह के विरोधी थे लेकिन वे महिलाओं को एक सीमित स्वतन्त्रता देना चाहते थे। उनके प्रयत्नों के अनुसार महिलाओं को कई धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त हुये, मुस्लिम महिलायें पुरूषों की आज्ञा से ही सार्वजनिक स्थानों में नमाज पढ़ सकती थी तथा मस्जिद जा सकती थी। कुरान में मुस्लिम विधवा को पुर्नविवाह तथा महिलाओं को तलाक का अधिकार प्राप्त था।[6]

कपाडिया ने लिखा है। इस्लाम में पत्नियों की संख्या घर तक सीमित करके बालिका हत्या की निन्दा करके स्त्रियों को उत्तराधिकार का भाग प्राप्त करने तथा विवाह सम्बन्धी कानून को स्त्रियों के अनुकूल बनाकर स्त्री की स्थिति में सुधार किया है।[7]

आधुनिक समय मुस्लिम महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे आयी है तथा वे भी पुरूषों के बराबर खडे होकर कार्य कर रही है। ''कुरआन'' में स्पष्ट निर्देश है कि महिला आवश्यकतानुसार घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन उसको धार्मिक प्रतिबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा। इससे स्पष्ट होता है कि इस्लाम महिलाओं के अधिकारों को छीनने और उन पर पाबन्दियाँ लगाने के हित में नहीं है। बल्कि इस्लाम स्वयं स्त्री एवं पुरूष की समानता की बात कहता है। इस्लाम में कहा गया है कि जिस प्रकार पुरूषों को शिक्षा प्राप्ति के अधिकार प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त है। इस्लाम में महिलाओं को भी वे सभी अधिकार प्राप्त है, जो पुरूषों को दिए गए है, लेकिन मुस्लिम महिलाएँ शिक्षा के माध्यम से उन अधिकारों को पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है।

स्वतन्त्रता के बाद की बदली हुई सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप ही उनके बीच समानता व स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति और उसकी प्रतिष्ठा के नये–नये रास्ते खुल गये है। यह कारण है। कि व्यवसायिक क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं की संख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है।

इस प्रकार कहा जा सकता है। कि भारत में महिलाओं की स्थिति में कई सामाजिक एवं वैचारिक बदलाव आये है।

अध्ययन के उद्देश्य :– प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है।

शोध अभिकल्प :– प्रस्तुत अध्ययन का अन्वेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। जिसमें मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ज्ञात किया जायेगा। साथ ही विवेचनात्मक शोध अभिकल्प के आधार पर चयनित मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति की व्याख्या की जायेगी।

अतः प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य अन्वेषणात्मक एवं विवेचनात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है। चयनित मुस्लिम महिलाएँ नगर बागेश्वर के वार्ड न0 6 घटबगड बाल्मीकी, गोमती बस्ती में निवास करती है। जिनकी संख्या मात्र 27 है, इस कि पुष्टी शोधार्थी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर की गई है। चूँकि मुस्लिम महिलाओं की संख्या अत्यधिक कम होने के कारण उन्हें समग्र रूप में सम्मिलित करते हुवे संनगना पद्धति का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन हेतु प्राथमिक आँकड़े के रूप में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची के साथ सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया गया, तथा द्वैतियक स्त्रोत के रूप में मुस्लिम महिलाओं से सम्बनिधत साहित्य के प्रयोग हेतु भिन्न–भिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं को सम्मिलित किया गया है।

उपलब्धियां :–

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं–

1 सर्वाधिक उत्तरदाता 37 प्रतिशत 25 से 32 वर्ष की आयु समूह के है। जबकि 53 से 60 वर्ष की आयु समूह की इस समूदाय में नहीं पाई गई।

2 60 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित तथा 36 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित है। उन उत्तरदाताओं में प्रतिशत समान (4 प्रतिशत) है, जो विधवा तथाा तलाकशुदा है। जबकि अलग होने की स्थित में कोई महिला नहीं पाई गई है।

3 शत प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम धर्म के है।

4 शैक्षणिक स्तर के आधार पर 85.2 प्रतिशत उत्तारदाता साक्षर है। जबकि 14.8 प्रतिशत उत्तरदाता ही निरक्षर है।

5 55.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है, कि महिलाओं कि सामाजिक स्थिति सामान्य है। जबकि 44.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है, कि समाज में आज भी महिलाओं कि स्थिति निम्न है।

6 59.26 प्रतिशत उतरदाताओं ने स्वीकार किया है, कि उन्हें विभिन्न स्थानों में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके विपरीत 40.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस सन्दर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है।

7 66.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मनना है, कि कर्तव्यों तथा अधिकारों का विभाजन अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्य द्वारा किया जाता है, जबकि 33.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के विभाजन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है।

8 शत प्रतिशत उत्तदाताओं ने सामाजिक स्तर पर महिलाओं को पूरूषों के समान स्वतंत्रता प्राप्त होना स्वीकार किया है।

9 85.18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह को जन्म–जन्मान्तर का सम्बम्ध माना है। जबकि 14. 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे एक अस्थाई बन्धन माना है।

10 शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मानना है, कि महिलाओं को समाज में सभी अधिकार मिलने चाहिए।

11 सर्वाधिक 82.48 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है, कि महिलाओं को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। जबकि 18.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है। कि महिलाओ को नितर्णय लेने कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है।

12 सार्वाधिक उत्तरदाताओं (77.78 प्रतिशत) ने स्वीकार किया है, कि परिवार में आर्थिक क्रिया–कलापों का निर्णय उनके परिवार के मुख्या सदस्यों द्वारा लिया जाता है। जबकि उन उत्तरदाओं का प्रतिशत (7.41प्रतिशत) कम है, जो कमाने वालें सदस्य होने के कारण निर्णय लेते है।

13 अधिकांश उत्तरदाताओं (88.9 प्रतिशत) महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता को अनिवार्य माना है।

14 सर्वाधिक उत्तरदाता (96.29 प्रतिशत) का मनना है, कि परिवार में घरेलू बजट की व्यवस्था संयुक्त रूप से करते है।

15 शत प्रतिश्त का उत्तरदाताओं का मानना है, कि महिलाओं को परिवार का नेतृत्व करना चाहिये।

16 शत प्रतिश्त उत्तरदाताओं का मानना है, कि महिलाओं को परिवार के सभी निर्णय लेने का हक होना चाहिये।

17 सर्वाधिक उत्तरदाताओं (81.49 प्रतिश) के मानना हैं, कि महिलाओं की गृहणी कि भूमिका आर्दश भूमिका है।

18 शत प्रतिशत उत्तरदाता रूढिवादी परम्परा के आगे बढने के पक्ष में है।

निश्कर्श :–

संक्षेप में कहा जा सकता है, कि मुस्लिम महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक एवं नवीन वैचारिकी का विकास हो रहा है। समाज में महिलाओं की स्थिति के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं का स्तर निम्न है। इसके साथ ही सामाजिक तौर पर विभिन्न क्रियाकलापों का निर्वाहन उनके बुर्जुग सदास्यों द्वारा ही किया जाता हैं। स्वतंत्रता के सन्दर्भ में भी उत्तरदाताओं के एक छोटे वर्ग को ही इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तथा कर्त्तयों तथा अधिकरों का विभाजन उनके बुजुर्ग सदस्य द्वारा ही किया जाता है। जबकि शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक स्तर पर महिलाओं को पुरूषों के समान स्वतंत्रता प्राप्त होना स्वीकार किया यद्यपि विभिन्न सामाजिक सुधारों की वर्तमान में सामाजिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन आया है। इस दिशा में महिलाओं को सामाजिक स्तर पर अपनी स्थिति को सुदृश्ढ करने के कई अवसर प्राप्त है, किन्तु अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो महिलाओं के समाज में निम्न स्थिति के कई कारण विद्यमान है, इसी दिशा में उत्तरदाताओं का मानना है, कि शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति की परिस्थिति को बदला जा सकता है। इसी प्रकार शत प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है, कि महिलाओं को समाज में सभी अधिकार मिलने चाहिए। इसके साथ ही उत्तरदाताओं ने महिलाओं को निणर्य लेने की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार किया है। समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं ने आर्थिक स्वतंत्रता को अनिवार्य माना है। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता को जानने के लिए आवश्यक है, कि महिलाओं के परिवार में घरेलू बजट की व्यवस्था में प्रमुख भूमिका क्या है ? इस सन्दर्भ में सार्वाधिक उत्तरदता परिवार में घरेलू बजट की व्यवस्था संयुक्त रूप से करते है। परिवार का नेतृत्व करने के सन्दर्भ में शत प्रतिशत महिलाएं मानती है, कि महिलाओं को परिवार का नेतृत्व करना चाहिए। इसी प्रकार परिवार के समस्त निणर्य के सन्दर्भ में भी शत प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है, कि महिलाओं को भी परिवार के सभी निणर्य लेने का अधिकार होना चाहिए वही दूसरी ओर महिलाओं ने ग्रहणी की भूमिका को एक आदर्श भूमिका माना है। महिलाए आज भी ग्रहणी की भूमिका से ही बंधी हुई है। इसी प्रकार रूढिवादी परम्पराओं को आगे बढाने के सन्दर्भ में शत प्रतिशत उत्तरदाता भी इस मत से सहमत है, कि वैचारिक स्वतंत्रता होने के पश्चात् भी महिलाएं

धर्म सम्बन्धी परम्पराएं व सस्कृति की अवेहलना करने उन्हें तोडने के पक्ष मे नहीं है जो एक दुखद पक्ष है।

अतः कहा जा सकता है, कि परम्परागत मुस्लिम समाज में धर्म को महत्व दिया जाता था। महिलाओ को चार दिवारी में कैद रखा जाता था, उनकी स्थिति निम्न थी वे अधिकारों से वंचित थी। लेकिन वर्तमान में परिवतर्न दृष्टिगोचर हुए है। आधुनिकरण का प्रभाव मुस्लिम महिलाओं में देखने को मिलता है।

सुझाव

- ❖ मुस्लिम मदरसों को धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाय।
- ❖ मुस्लिम महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन करने की आवश्यकता है।
- ❖ कुछ ऐसी संस्थायें होनी चाहिये जो मुस्लिम महिलाओं को रोजगार के साथ–साथ शिक्षा से भी जोड़े। इससे महिलाओं में आर्थिक, राजनीतिक चेतना का भाव जागृत होगा।
- ❖ अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बौर्ड को मुस्लिम महिलाओं की वर्तमान आवश्यकताओं को महत्व देना होगा।

संदर्भ सूची

1 आजमी अब्दुल, मुस्तफा 'जन्नती जेवर जियाउल कुरान' पब्लिकेशन लाहौर पृ0सं0–111

2 आजमी अब्दुल, मुस्तफा 'जन्नती जेवर जियाउल कुरान' पब्लिकेशन लाहौर पृ0सं0–118

3 आजमी अब्दुल, मुस्तफा 'जन्नती जेवर जियाउल कुरान' पब्लिकेशन लाहौर पृ0सं0–118

4 छापड़िया मनोज ''स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता'' सीरीयल्स पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 2008 पृष्ठ संख्या–108

5 समाचार पत्र अमर उजाला, 10 दिसम्बर 2004

6 ''वीमेन्स पूवमेन्ट इन इण्डियाः एन असेसमेंटट'' इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली वोल्यूम नं0– 23 जून 8.1985–95

7 जैन प्रतिभा एवं शर्मा संगीता ''भारतीय स्त्री'' रावत पब्लिकेशन जयपुर, नई दिल्ली वर्ष–1998